

6.1.26

वकील जयदीप। डिप्टी मजुदार राजस्व रिपोर्ट में
अंकन हो चुका है। प्राप्ति-पत्र में कार्यवाही शेष नहीं
है। जयदीप-पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रमाणिकी नंबर के
अनुसार होकर डायरी में दर्ज हो।

आदेश के अनुसार हुआ गया।


उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

GCMs
2025/618

